रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 26, 1970/आश्विन 4, 1892

No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 26, 1970/ASVINA 4, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 15th September 1970

G.S.R. 415.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Navy (Class I Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1969, namely:—

1. (1) The rules may be called the Navy (Class I Gazetted Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to Navy (Class I Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1969 against item 2 relating to the posts of

"(a) Personnel Manager" and "(b) Administrative Officer", in column 11, after category (iv), the following shall be added, namely:—

"(v) Assistant Personnel Manager-1 (Rs. 350—900)"

V. A. VALIAPARAMPIL, Under Secy.

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1970

का० नि० आ० 415.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा नौसेना (वर्ग 1 राजपत्रित पद) भर्ती नियम 1969 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :—

1. (1) ये नियम नौसेना (वर्ग 1 राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम 1970 कहे जा सकेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की प्रवृत्त की प्रयुक्त होंगे।

2. नौसेना (वर्ग 1 राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1969 की अनुसूची में :—

"(क) कार्मिक प्रबन्धक" और "(ख) प्रशासनिक आफिसर" पदों से सम्बन्धित मद 2 के सामने स्तम्भ 11 में प्रवर्ग (IV) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(V) सहायक कार्मिक प्रबन्धक —1 (350—900 रु०)"

वी० ए० वलियापरम्पिल, अवर सचिव।

New Delhi, the 16th September 1970

S.R.O. 416.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Defence, Directorate of Public Relations (Class III Non-Gazetted Non-Ministerial posts) Recruitment Rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Directorate of Public Relations (Class III Non-Gazetted Non-Ministerial posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Defence, Directorate of Public Relations (Class III Non-Gazetted Non-Ministerial posts) Recruitment Rules, 1968, after the entries relating to the post of "Assistant Journalist", the following entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7
"Advertisement Manager	1	Defence Services Civilians Class III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-425-EB-15-530	Not applicable	18-30 years.	1. Degree of a recognised University or equivalent. 2. At least 5 years' experience of advertisement space selling or 3 years' service in an established newspaper office as Advertisement Manager or space selling executive. 3. A working knowledge of accounts.

8	9	10	11	12
Not applicable	2 years	By direct recruitment.	Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
Layout Expert	1	Defence Services Civilians Class III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 335-15-485.	Not applicable	18—30 years	1. Matriculation or equivalent of a recognised University or Board. 2. Diploma in Fine Arts from an Arts School. 3. Ability to draw maps designs, illustrations, cartoons, lettering and caligraphs in several languages and knowledge of photography, etching, block-making, colour printing and pirctorial and advertisement layouts and of general production of pictorial magazine. *Desirable* : Long experience of Layout work.

8	9	10	11	12
Not applicable	2 years	By direct recruitment.	Not applicable	Not applicable

[File No. 57423/CAO/R&R-II.]
D. J. BARAT, Asstt. C.A.O.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर 1970

का० नि० आ० 416:—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा रक्षा मंत्रालय लोक सम्पर्क निदेशालय (वर्ग 3 अराजपत्रित अननुसचिवीय पद) भर्ती नियम 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम रक्षा मंत्रालय लोक सम्पर्क निदेशालय (वर्ग 3 अराजपत्रित अनन-सचिवीय पद) भर्ती (संशोधन) नियम 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय लोक सम्पर्क निदेशालय (वर्ग 3 अराजपत्रित अननुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 1968 की अनुसूची में "सहायक पत्रकार", पद से सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7
विज्ञापन प्रबन्धक	1	रक्षा सेवा सिविलियन वर्ग 3 अराजपत्रित अननुसचिवीय	210–10–290–15–320–द०रो० 15–425 द०रो–15–530 रु०	लागू नहीं होता	18–30 वर्ष	1. मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य। 2. एडवर्टाइजमेन्ट स्पेस सेलिंग का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव या किसी सुस्थापित समाचार पत्र कार्यालय में विज्ञापन प्रबन्धक या स्पेस सेलिंग कार्यपालक के रूप में 3 वर्ष की सेवा। 3. लेखा का व्यावहारिक ज्ञान।

8	9	10	11	12
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होत

1	2	3	4	5	6	7
ले-आउट विशेषज्ञ	1	रक्षा सेवा सिविलियन वर्ग 3 अराजपत्रित अननुसचिवीय	335–15–485 रु०	लागू नही होता	18-30 वर्ष	1. मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य । 2. किसी कला विद्यालय से ललित कला में डिप्लोमा । 3. कई भाषाओ में नक्शे, डिजाईन, चित्र, व्यग्य चित्र बनाने, अक्षर लेखन और सुलेख की योग्यता और फोटोग्राफी, उत्कीर्णन ब्लॉक बनाने, रंगीन मुद्रण तथा सचित्र और विज्ञापन ले आउट और सचित्र पत्रिका को सामान्यत: निकालने का ज्ञान । **वांछनीय** ले आउट कार्य का दीर्घ अनुभव ।

8	9	10	11	12
लागू नही होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नही होता	लागू नही होता

[फाइल सं० 57423/सी ए ओ/आर एण्ड आर –II]

डी० जे० बगट,
सहायक सी० ए० ओ०

New Delhi, the 17th September 1970

S.R.O. 417—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby fixes 20th December, 1970 as the date on which ordinary elections in Dehra Dun Cantonment shall be held.

[File No 29/47/C/L&C/66/3268-C/D(Q&C).]

S. P. MADAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1970

का० नि० आ० 417—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 20 दिसम्बर, 1970 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को देहरादून छावनी में साधारण निर्वाचन किए जाएंगे।

[फा० सं० 29/47/सी०/एल० एण्ड सी०/66/3268 सी डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

एस० पी० मदान, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970